न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 93/2018 **दायरा दिनांक : 04.06.2018**

उनवान

भोला पुत्र श्री रामकिशन उम्र 76 वर्ष लगभग, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम मोरेला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रभूलाल पुत्र श्री रामकिशन उम्र 65 वर्ष लगभग, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम मोरेला, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.05.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या — 53/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/वादी द्वारा खिलाफ अपीलांट/प्रतिवादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 4/14 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 44/2 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 8 बिस्वा कुल 9 किता की 18 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मोरेला, तहसील छबडा में स्थित है । उक्त वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । वादी एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई होने से वादग्रस्त में उनका 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है इस कारण उनके मध्य बंटवारा किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री जैर अपील विधि एवं न्याय संचिका में उपलब्ध आधारभूत सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह स्वच्छ हाथों से नहीं किया गया है तथा जिन खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया उन भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमि भी अपीलांट व रेस्पोडेंट के खाते काश्त की है जिनमें खसरा नम्बर 22 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 32 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 किता की 17 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नूरपुरा उर्फ नयागांव में स्थित है तथा दोनों खसरा नम्बरों में अपीलांट व रेस्पोडेंट का 1/2– 1/2 हिस्सा निहित है तथा बंटवारे के साधारण सिद्धांत के अनुसार सहखातेदारान के मध्य समस्त कृषि भूमि का बंटवारा होगा । बंटवारे के लिय कोई भी काश्तकार भूमि को पिक एण्ड चूज नहीं कर सकता है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा मात्र डिक्रीत भूमि के लिये वाद दायर किया तााि ग्राम नूरपुरा उर्फ नयागांव की भूमि को छोड़ दिया, इस कारण से निर्णय व डिक्री पूर्ण न्याय की श्रेणी में

नहीं आती है । लोक अदालत का मूल सिद्धांत है कि दोनों पक्षकारों के संयुक्त रूप से किसी विवाद का निस्तारण हेतु तैयार एवं तत्पर हो, तभी राजीनामा मान्य है, यदि दोनों पक्षकारान में से कोई एक पक्ष राजीनामे को तैयार नहीं है तो उक्त राजीनामा तस्दीक कर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर पारित निर्णय विवेकपूर्ण है एवं जमाबंदी अनुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2018 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा